रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24—जनवरी 30, 2009 (माघ 4, 1930)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24—JANUARY 30, 2009 (MAGHA 4, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400005, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

सं. बैंपवि.एआरएस सं. 7892/08.21.002/2008-2009--भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित लेखा परीक्षा फर्मों को वर्ष 2008-2009 के लिए तथा भारतीय स्टेट बैंक की अगली वार्षिक साधारण बैठक होने तक बैंक के सांविधिक सर्कल लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है :--

1. मैसर्स डी. पी. सेन एंड कंपनी, कोलकाता
2. मैसर्स जी. एम. कपाडीया एंड कंपनी, मुंबई
3. मैसर्स आर. जी. एन. प्राइस एंड कंपनी, चेन्नई
4. मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कंपनी, नई दिल्ली
5. मैसर्स वर्धमान एंड कंपनी, चेन्नई
6. मैसर्स वी. के. जिंदाल एंड कंपनी, रांची
7. मैसर्स जैन कपिला एसोसिएट्स, दिल्ली
8. मैसर्स ए. के. सबत एंड कंपनी, भुवनेश्वर
9. मैसर्स दत्ता सिंगला एंड कंपनी, चंडीगढ़
10. मैसर्स दत्ता सरकार एंड कंपनी, कोलकाता
11. मैसर्स गुप्ता एंड शाह, कानपुर
12. मैसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी, कोलकाता
13. मैसर्स ए. आर. विश्वनाथन एंड कंपनी, बेंगलोर
14. मैसर्स चोक्सी एंड चोक्सी, मुंबई

जे. आर. पी. रत्नाराव
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2009

निर्देश सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश.26/सीएमडी/2008.-राष्ट्रीय आवास बैंक सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराओं 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त

[illegible] (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001, इस प्रकार से निम्न [illegible] संशोधित किये जाते हैं, यथा :-

1. आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में अनुसूची I [illegible] "[illegible]" निर्देशों के तहत विवरणी) में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए [illegible] प्रस्थापित किया जाएगा, [illegible] अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, [illegible]

"1. आवास वित्त कंपनी द्वारा यथा 31 मार्च को अपनी स्थिति के बारे में, चाहे कंपनी के वित्त वर्ष बंद होने की तारीख कुछ भी हो, [illegible] के बाद विवरणी 31 मार्च के पश्चात् यथा संभव शीघ्र [illegible] किंतु अधिक से अधिक 30 जून तक राष्ट्रीय आवास बैंक के मुख्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाए जैसाकि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 38 के अनुसार [illegible] कंपनी के लेखा परीक्षकों का एक प्रमाण-पत्र भी विवरणी के साथ [illegible] किया जाये।"

II. आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के शीर्षक "अनुसूची II" (31 मार्च 30 सितम्बर को अर्ध वार्षिक विवरणी) के तहत दिये गए निर्देश (छमाही समाप्त होने से दो माह के अंदर प्रस्तुत की जाए) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित होगा, यथा :-

"(छमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाए।"

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक

सं. एन-15/13/15/3/2008-यो. एवं वि.-(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1.12.2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उत्तर प्रदेश राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

राजस्व ग्राम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	जिला
1. लहरगिर्द	झांसी	झांसी	झांसी
2. भगवन्त पुरा	झांसी	झांसी	झांसी
3. कोछा भांवर	झांसी	झांसी	झांसी
4. करारी	झांसी	झांसी	झांसी
5. पिछोर	झांसी	झांसी	झांसी
6. करगुवां	झांसी	झांसी	झांसी

आर. सी. शर्मा

सं. निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/10/[illegible]/2008-यो. एवं वि.-[illegible] कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम-1950 के विनियम [illegible] के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने [illegible] 2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :

"अधिनियम के उक्त प्रावधान जिन क्षेत्रों में पहले ही लागू किए जा चुके हैं उनको छोड़कर गंजाम जिले में बहरमपुर की म्यूनिसिपल सीमाओं के क्षेत्र इसमें शामिल हैं तथा

1. गंजाम जिले में बहरमपुर तहसील के अंतर्गत रतनपुर, शंकरपुर, मर्दराजपुर, सुंदरराजपुर, अंकुशपुर, सानकुशस्थली के राजस्व गांव
2. गंजाम जिले में छत्रपुर तहसील के अंतर्गत रघुनाथपुर, नरेन्द्रपुर के राजस्व गाँव
3. गंजाम जिले में कोणिसी तहसील के अन्तर्गत हलदीआपदर, रलभा, कोणिषी, हिन्जनापल्ली के राजस्व गाँव शामिल हैं।

आर.सी. शर्मा

सं. निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/12/2005-यो. एवं वि.-(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1.12.2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:-

केन्द्र	
गोपिचेट्टिपालयम तालुक ईरोड जिला के गोपिचेट्टिपालयम क्षेत्र	1. वीरपाण्डी-गोपी टाउन 2. परियूर 3. चोषमादेविक्करै 4. आलुक्कलै (क) 5. आलुक्कुलै (ख) 6. मोडचूर 7. कुल्लम्पालयम 8. कलंजियम (क) 9. कलंजियम (ख) 10. लक्कम्पट्टी आदि के अंतर्गत आने वाले राजस्व गांव

आर.सी. शर्मा

सं. निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/8/2/2008-यो. एवं वि.-(2) कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1.12.2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा हिमाचल

प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1977 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

1. जिला मंडी के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र मंडी (हदबस्त सं.-366) तथा समीपवर्ती क्षेत्र रत्ती (हदबस्त सं.-193), नेर चौक (हबदस्त सं.-222) भंगरोटू (हदबस्त सं.-221) चक्कर एवं गुटकर (हदबस्त सं.-208)

2. जिला उना के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र गगरेट (हदबस्त सं.-140) एंव वाथरी (हदबस्त सं.-476)

3. जिला बिलासपुर के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र गोलथाई (हदबस्त सं.-372)

4. जिला शिमला के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र शोघी (हदबस्त सं.-95)

आर.सी. शर्मा
सं. निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2008

सं. यू-16/53/99 चि.-2(गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर कार्यग्रहण की तिथि से एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, गुजरात द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के प्राधिकृत करता हूं:--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र
डॉ. ए.एच. शाह	1.8.2008 से 31.7.2009 तक	सारसपुर, उधव, गोमतीपुर, बापूनगर

डॉ. जे. पी. भासने
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008

संख्या : ए-12(11)8/2000-स्था.1 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (XXi) और उप धारा (2क) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती)विनियम, 1965 एवम् कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती)संशोधन विनियम, 1970 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा करने से रह गये कार्यों के अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक बीमांकक के पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सहायक बीमांकक) भर्ती विनियम, 2008 कहे जायेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :-

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :-

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

4. **निरर्हता :-**

ऐसा कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है अथवा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों से छूट दे सकते हैं ।

5. **ढील देने की शक्ति :-**

जहाँ क.रा.बी. निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वे केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियो के वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं ।

6. **अवशिष्ट मामले :-**

इन विनियमों के उपबंधों के अधीन निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पद पर लागू होंगे ।

7. **अपवाद :-**

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक बीमांकक के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सहायक बीमांकक	01* *(2008) कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है।	ग्रुप 'क' (गैर-लिपिकीय)	10,000-325-15,200/-	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा
11	12	13	14
मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) और पदोन्नति)	**प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) और पदोन्नति** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत संगठन के अंतर्गत वे अधिकारी या अन्य बीमा निगम के कर्मचारी जो/जिसने :- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हो; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 8,000-13,500/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखते हों :- **अनिवार्य :-** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त या समकक्ष। (ii) भारतीय बीमांकन सोसायटी से सम्बद्धता (iii) सरकारी अथवा अर्ध सरकारी या बीमा संगठन में बीमांकन कार्य का 5 वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी :-** 8000-13500/- रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय उप निदेशक(बीमांकन) पर भी प्रतिनियुक्तों के साथ विचार किया जाएगा तथा पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने की स्थिति में इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। (इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व इसी या केन्द्र सरकार के अन्य किसी संगठन/विभाग में अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

फाइल संख्या : 2-12/11/8/2000-स्था.1

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
महानिदेशक, क.रा.बी. निगम

संख्या : ए-12(11)9/2000-स्था. I : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (XXi) और उप धारा (2क) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम सहायक निदेशक (बीमांकन) भर्ती विनियम, 1991 और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप निदेशक(बीमांकन) भर्ती (संशोधन) विनियम, 1997 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा करने से रह गये कार्यों के अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप निदेशक(बीमांकन) के पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप निदेशक(बीमांकन) भर्ती विनियम, 2008 कहे जायेंगे,

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :-**

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :-**

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

4. **निरर्हता :-**

ऐसा कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है अथवा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों से छूट दे सकते हैं ।

5. **ढील देने की शक्ति :-**

जहाँ क.रा.बी. निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वे केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं ।

6. **अवशिष्ट मामले :-**

इन विनियमों के उपबंधों के अधीन निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पद पर लागू होंगे ।

7. **अपवाद :-**

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप निदेशक(बीमांकन) के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (बीमांकन)	1* [illegible]	ग्रुप क (गैर-लिपिकीय)	[illegible]	लागू नहीं	नहीं	35 वर्ष से अनधिक #

 # कॉलम 7 के अन्तर्गत

[illegible] सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट।

टिप्पणी : [illegible] आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी [illegible] प्रदेश, [illegible] लाहौल एवं स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश [illegible] अंतिम तारीख होगी।

$ कॉलम 11 के अन्तर्गत

टिप्पणी : [illegible] के कारण एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए [illegible] को [illegible] प्रतिनियुक्ति [illegible]

(क) [illegible]

(ख) [illegible] नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 5 वर्ष [illegible]

(ग) [illegible] निर्धारित शैक्षिक [illegible]

टिप्पणी : [illegible] अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं।

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिसमें पदोन्नति/आमेलन किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा
8	9	10	11	12	13	14
अनिवार्य (i) बीमांकन विज्ञान [illegible] प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री [illegible] (ii) संबंधित [illegible] अनुभव [illegible] (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय [illegible] इसके समकक्ष किसी विषय में [illegible] (ii) बीमांकन विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष **टिप्पणी 1 :** [illegible] संघ लोक सेवा आयोग [illegible] **टिप्पणी 2 :** [illegible]	लागू नहीं	सीधी भर्ती [illegible]	सीधी भर्ती $	लागू नहीं	[illegible] (पुष्टि के लिए) विभागीय पदोन्नति समिति 1. [illegible] - अध्यक्ष 2. [illegible] आयुक्त - सदस्य 3. बीमांकक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

फाइल संख्या : ए-12/11/9/2000-स्था.1

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
महानिदेशक, क.रा.बी. निगम

संख्या : ए-12(11)7/2000-स्था.1 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (XXi) और उप धारा (2क) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बीमांकक के पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (बीमांकक) भर्ती विनियम, 2008 कहे जायेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :-

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :-

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

4. निरर्हता :-

ऐसा कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है अथवा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों से छूट दे सकते हैं ।

5. **ढील देने की शक्ति :-**

जहाँ क.रा.बी. निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वे केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं

6. **अवशिष्ट मामले :-**

इन विनियमों के उपबंधों के अधीन निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पद पर लागू होंगे ।

7. **अपवाद :-**

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बीमांकक के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बीमांकक	01* *(2008) कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है	ग्रुप 'क' (गैर-लिपिकीय)	14,300-400-18,300/-	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा
11	12	13	14
मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) और पदोन्नति)	**प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) और पदोन्नति** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/सांविधिक या स्वायत संगठन के अंतर्गत वे अधिकारी या अन्य बीमा निगम के कर्मचारी जो/जिसने :- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हो; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 12,000-16,500/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 10,000-15,200/- रुपये के अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखते हों :- **अनिवार्य :-** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त अथवा समकक्ष । (ii) भारतीय बीमांकन सोसायटी का सदस्य (फेलो) । (iii) सरकारी अथवा अर्ध सरकारी या बीमा संगठन में बीमा/बीमांकन कार्य का 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें सरकार या बीमा संगठन के अंतर्गत प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभव हो । **ऐच्छिक :-** (i) श्रम कानून तथा सामाजिक बीमा में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी :-** 10000-15,200/- रुपये के वेतनमान में दस वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायक बीमांकक पर भी प्रतिनियुक्तों के साथ विचार किया जाएगा तथा पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने की स्थिति में इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा । फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। (इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व इसी या केन्द्र सरकार के अन्य किसी संगठन/विभाग में अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) की अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

फाइल संख्या : ए-12/11/7/2000-स्था.1

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
महानिदेशक, क.रा.बी. निगम

वास्तुकला परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008

वास्तुकला परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है । परिषद् 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ।

संगठनात्मक संरचना:

वास्तुकला परिषद् का प्रेसीडेंट संगठन का प्रमुख होता है जिसके पूर्ण कार्यभार के अधीन परिषद् काम करती है । सम्प्रति, प्रोफेसर विजय श्रीकृष्ण सोहोनी, परिषद् के प्रेसीडेंट हैं ।

परिषद् में सदस्यों के रूप में निर्वाचित एवं नामित प्रतिनिधि शामिल होते हैं यथा- केंद्रीय सरकार का एक नामिती, प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित एक वास्तुविद्, भारतीय वास्तुविद् संस्थान के सदस्यों में से निर्वाचित पाँच प्रतिनिधि, वास्तुविद् संस्थाओं के प्रमुखों में से निर्वाचित पाँच व्यक्ति, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय का मुख्य वास्तुविद्, एसोसिएशन इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किए गए दो व्यक्ति और भारतीय सर्वेक्षक संस्था द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया गया एक व्यक्ति ।

परिषद् का रजिस्ट्रार परिषद् के प्रेसीडेंट और सदस्यों के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सहायता से सभी सांविधिक कार्य करता है

परिषद् ने वास्तुकला शिक्षा और वास्तुकला व्यवसाय को विनियमित करने के प्रयोजन से वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन अन्य के अलावा निम्नलिखित विनियम, व्यावसायिक प्रलेख/दिशा-निदेश विहित किए हैं :-

1. वास्तुकला परिषद् विनियमावली, 1982
2. 2006 में संशोधित वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली, 1983।
3. वास्तुकला के पूर्णकालिक 5 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश।
4. डिग्री स्तर की वास्तुकला संस्थाओं में शिक्षण पदों के लिए संशोधित न्यूनतम अर्हता और अनुभव।
5. 2003 में संशोधित वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989।
6. वास्तुकलात्मक व्यवहार - अनुबंध की शर्तें और चार्ज-स्केल।
7. वास्तुकला प्रतियोगिताओं के लिए दिशा निर्देश।
8. वास्तुकलात्मक व्यवहार - वास्तुविद् का व्यावसायिक दायित्व ।
9. वास्तुकला विद्यालयों के संकाय सदस्यों के लिए परामर्श प्रैक्टिस ।
10. स्नातकोत्तर कार्यक्रम 2006 के लिए वास्तुकलात्मक शिक्षा दिशा-निर्देशों के न्यूनतम मानक ।
11. वास्तुकला में डाक्टर ऑफ फिलासफी (पीएच-डी) के डिग्री के लिए दिशा-निर्देश ।
12. लोक सेवाओं में वास्तुविदों की भूमिका से संबंधित दिशा-निर्देश ।

सांविधिक तथा अन्य समितियाँ:

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियाँ गठित की हैं यथा- कार्यकारिणी समिति जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन-समिति जो शिकायतों की जाँच-पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जाँच करती है; सलाहकार समिति

(अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं ।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुईं - 29 जून, 2007 को 49वीं बैठक मसूरी में और 21 दिसम्बर, 2007 को 50वीं बैठक पोर्टब्लेयर में ।

कार्यकारिणी समिति की चार बैठकें हुईं अर्थात् नई दिल्ली में 6 जून, 2007 को 90वीं, मसूरी में 28 जून, 2007 को 91वीं, कटक में 10 सितम्बर, 2007 को 92वीं और पंचकुला में 24 अक्तूबर, 2007 को 93वीं बैठक ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों का सारांश नीचे दिया जा रहा है:-

1.0 **वर्ष 2006-2007 के लिए वास्तुकला परिषद् की लेखा-बहियों की परीक्षा करने हेतु लेखापरीक्षकों की नियुक्ति:**
परिषद् ने 29.06.2007 को हुई अपनी 49वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए परिषद् की लेखाबहियों की परीक्षा करने हेतु लेखापरीक्षक के रूप में मै. शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार, बी-91 द्वितीय तल, पंचशील विहार, शेख सराय, फेज-I, नई दिल्ली- 110017 की नियुक्ति की ।

इसके अतिरिक्त, परिषद् ने 21.12.2007 को हुई अपनी 50वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए परिषद् की लेखाबहियों की परीक्षा करने हेतु लेखापरीक्षक के रूप में मै. शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार, बी-91, द्वितीय तल, पंचशील विहार, शेख सराय, फेज-I, नई दिल्ली-110017 की नियुक्ति का अनुमोदन किया ।

2.0 **वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन परिषद् द्वारा रखे गए वास्तुविद् रजिस्टर में नामों को फिर से दर्ज कराना :**
परिषद् ने अपनी 49वीं बैठक में 457 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया । 15.11.2006 से 31.05.2007 के दौरान अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद इन वास्तुविदों के नाम वास्तुविद् रजिस्टर में पुन: दर्ज किए गए थे ।

परिषद् ने अपनी 50वीं बैठक में 802 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से दर्ज करने का अनुमोदन प्रदान किया । 01.06.2007 से 15.11.2007 तक की अवधि के दौरान अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद इन वास्तुविदों के नाम वास्तुविद् रजिस्टर में पुन: दर्ज किए गए थे ।

3.0 **निवेदन करने पर तथा निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से नामों को हटाया जाना:**
परिषद् ने अपनी 49वीं बैठक में वास्तुविद् श्री बी. जयहरी का नाम उनकी मृत्यु होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिया। निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिये गए :

(1) श्री देवराज ऋषिराज (सीए /82/6758) दिल्ली;
(2) श्री मधुकर दिगम्बरराव बिंदु (सीए /94/17908), औरंगाबाद;
(3) श्री सुधाकर धोंडो काल्ले (सीए /91/13803) मुंबई;
(4) सुश्री रुचि जैन (सीए /2002/29349) देहरादून;
(5) श्री संजय विनायक कुलकर्णी (सीए/81/6708) पुणे;
(6) श्री वाई सी दीक्षित (सीए /75/1474) बंगलौर; और
(7) श्री बी. आर. वडेरा, जम्मू (सीए /76/2338)

परिषद् ने अपनी 50वीं बैठक में निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनका निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटाए :

i) श्री [illegible] (सीए/75/629);
ii) श्री एस. [illegible];
iii) श्री एम. पी. [illegible] (सीए/[illegible]);
iv) श्री के. [illegible] (सीए/[illegible]); और
v) श्री [illegible] (सीए/[illegible]);

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनके द्वारा निवेदन करने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए गए :

i) श्री [illegible] (सीए/75/1137) और
ii) श्री प्रवीण चंद्र (सीए/81/[illegible])

4.0 **वास्तुविदों का पंजीकरण:**

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के तहत वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यवसाय करता हो और जो मान्यताप्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता हो ।

वर्ष (1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008) के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में [illegible] व्यक्तियों का पंजीकरण किया । इस प्रकार 31 मार्च 2008 तक वास्तुकला परिषद् में वास्तुविदों के रूप में कुल 40205 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है

5.0 **वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 20 का अवलंब लेना:**

परिषद् ने अपनी 49वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 20 का अवलंब लिया और निम्नलिखित उन संस्थाओं से सरकार की मान्यता वापस लेने की सिफारिश की जिनके पास परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम मानक नहीं थे:

i) गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्कीटेक्चर, लखनऊ; और
ii) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, (मानित विश्वविद्यालय), पटना

इसके अतिरिक्त, परिषद् ने अपनी 50वीं बैठक में निम्नलिखित संस्थाओं के संबंध में भी वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 20 का अवलंब लिया :

i) मराठवाड़ा मित्रमंडल कॉलेज ऑफ आर्कीटेक्चर, पुणे; और
ii) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

[illegible] विश्वविद्यालय, [illegible] द्वारा प्रदत्त बी. आर्की. की डिग्री तथा भारतीय वास्तुविद् संस्थान की एसोशिएट सदस्यता (परीक्षा द्वारा) की मान्यता समाप्त करने के लिए परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के पास लंबित हैं ।

6.0 **वास्तुकला परिषद् के वाइस प्रेसीडेंट का त्यागपत्र:**

परिषद् ने 29.06.2007 को हुई अपनी 49वीं बैठक में श्री विजय उप्पल द्वारा दिए गए वास्तुकला परिषद् के वाइस प्रेसीडेंट के पद से त्यागपत्र को स्वीकार किया । श्री विजय उप्पल ने यह त्यागपत्र हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य वास्तुविद् के पद पर कार्य के अधिक दबाव के कारण दिया था ।

7.0 **परिषद् की सदस्यता से मानित परित्याग:**

वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा [illegible] में यह उपबंध दिया गया है कि यदि कोई सदस्य परिषद् की राय में पर्याप्त कारण के बिना परिषद् की [illegible] क्रमिक साधारण बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो यह मान लिया जाएगा कि

उसने अपनी सीट छोड़ दी है । परिषद् ने 21.12.2007 को हुई अपनी 50वीं बैठक में यह नोट किया चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती श्री जगवीर सिंह रावत और अरुणाचल प्रदेश सरकार के नामिती डावा त्सेरिंग परिषद् की गत तीन बैठकों अर्थात् 47वीं बैठक, 48वीं बैठक और 49वीं बैठक में अनुपस्थित रहे थे और उनसे अनुपस्थित की छुट्टी के लिए कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी अतः यह मान लिया गया है कि श्री जगवीर सिंह और डावा त्सेरिंग ने परिषद् के सदस्य के रूप में अपनी सीटें छोड़ दी हैं ।

8.0 परिषद् के सदस्य श्री आई जे एस बक्शी और प्रकाश देशमुख को परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करना:

परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने 24.10.2007 को हुई अपनी 93वीं बैठक में यह नोट किया कि श्रीमती के. राजलक्ष्मी तथा श्री आर. एल. गोयल जिन्हें कार्यकारिणी समिति के लिए चुना गया था वे अब परिषद् के सदस्य नहीं हैं और इसलिए वे अब कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी नहीं हैं । अतः यह परम आवश्यक है कि कार्यकारिणी समिति के लिए परिषद् के दो सदस्यों को सहयोजित कर इन रिक्तियों को भरा जाए ताकि कार्यकारिणी समिति निर्बाध रूप से कार्य कर सके और उसके काम में कोई रुकावट न आए । परिणामस्वरूप परिषद् के सदस्य सर्वश्री आई जे एस बक्शी, चंडीगढ़ और प्रकाश देशमुख, पुणे को कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया ।

9.0 वास्तुविदों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई:

प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2003 में संशोधित वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णतः पालन करेगा । वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच-पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने 29 जून, 2007 को हुई अपनी 49वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध वृत्तिक कदाचार के 10 मामलों पर विचार किया । परिषद् ने 8 नई शिकायतों पर भी विचार किया और विस्तृत जांच-पड़ताल और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 5 मामलों को अनुशासन-समिति के पास भेजा ।

परिषद् ने 21.12.2007 को हुई अपनी 50वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध वृत्तिक कदाचार के लिए 13 नई शिकायतों पर विचार किया और 5 मामलों को विस्तृत जांच-पड़ताल और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुशासन-समिति के पास भेजा ।

इसी बैठक में परिषद् ने अनुशासन-समिति का पुनर्गठन भी किया और श्री पी. आर. दास जो कि परिषद् के सदस्य नहीं रहे हैं के स्थान पर श्री आई जे एस बक्शी को शामिल किया । अनुशासन-समिति में अब श्री एन. बी. शेलर और श्री आई जे एस बक्शी शामिल हैं ।

10.0 शैक्षिक सत्र 2007-2008 में नई संस्थाओं का अनुमोदन:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 4 नई संस्थाओं और एम आर्की. तथा पीएच-डी पाठ्यकम प्रदान करने हेतु एक-एक संस्था को अनुमोदन प्रदान किया गया । पहले से विद्यमान संस्थाओं में 3 नए बी. आर्की. पाठ्यक्रमों तथा 9 नए एम. आर्की. पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किया गया । इस प्रकार, वास्तुकला में मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की कुल संख्या 2006-2007 में 137 से बढ़कर 2007-2008 में 139 हो गई । छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या पूर्वस्नातक स्तर पर 6627, स्नातकोत्तर स्तर पर 1140 और पीएच-डी स्तर पर 10 है ।

11.0 **शिक्षा-सत्र 2007-2008 से आगे अनुमोदन की अवधि बढ़ाना:**

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा सत्र 2007-2008 के लिए 122 संस्थाओं के लिए अनुमोदन की अवधि निम्नलिखित ढंग से या अन्यथा बढ़ाई:

i) वे संस्थाएं जिनमें 2007-08 के लिए वर्तमान या अधिक दाखिला सहित बी. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : [illegible]

ii) वे संस्थाएं जिनमें 2007-2008 से आगे के लिए वर्तमान या अधिक दाखिला सहित एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 26

iii) वे संस्थाएं जिनमें वर्ष 2006-2007 के लिए कोई "प्रवेश नहीं" है : 5

iv) वे संस्थाएं जिनकी 2007-2008 में "मान्यता वापस" ले ली जाएगी : 3

परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2008-2009 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है।

12.0 **राष्ट्रीय वास्तुकला उच्च अध्ययन संस्थान (निआसा):**

वास्तुकला परिषद् ने राष्ट्रीय वास्तुकला उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना सी डी एस ए (विकास अध्ययन एवं वास्तुशिल्प केंद्र) पुणे के परिसर में 8 जुलाई 2005 को की थी। यह संस्थान वास्तुकला परिषद् की एक एकेडेमिक यूनिट के रूप में कार्य करता है और इसका संचालन सीधे परिषद् द्वारा किया जाता है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'निआसा' द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

क) **कार्यशालाएं और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तारीखें	समन्वयकों के नाम	सहभागियों की संख्या
1.	बी. आर्की. पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या विकास पर कार्यशाला	23 अप्रैल तथा 24 अप्रैल 2007	पी एम कर्नाविंद निदेशक, निआसा	31
2.	जल 5 वास्तुकला : औद्योगिक साधन तथा सुधारणायल	28 मई से 1 जून 2007	डॉ. पी. के. पंडित प्रोफेसर तथा अध्यक्ष वास्तुकला विभाग, एम आई टी एस, ग्वालियर	08
3.	नए शिक्षकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	4 जून 2007 से 8 जून 2007	पी एम कर्नाविंद निदेशक, निआसा	12
4.	आयामी रत्न (वैश्विक रत्न प्रौद्योगिकी फारम जी एम टी एफ), रत्न विकास केंद्र (सी डी ओ एस), जयपुर	22 से 24 नवम्बर 2007 (3दिन)	रत्न विकास केंद्र (सी डी ओ एस), जयपुर	04
5	भवन परियोजना प्रबंध (बी पी एम)	23 से 25 नवम्बर, 2007 (3 दिन)	डॉ. पी आर पंडित अध्यक्ष, वास्तुकला विभाग, एम आई टी एस ग्वालियर तथा विशेषज्ञ दल	08
6.	भौतिक सूचना विज्ञान	14 से 15 जनवरी	डॉ. पी. आर. पंडित अध्यक्ष,	09

		2008 (5 दिन)	वास्तुकला विभाग, एम आई टी एस, ग्वालियर तथा विशेषज्ञ दल	
7.	बी आई एम सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम	11 से 13 फरवरी, 2008 (3 दिन)	संबंधित विषय तथा एड्रोइटेक सूचना तंत्र, नई दिल्ली के वास्तुविद् विशेषज्ञ	15
8.	वास्तुकला में ज्ञान का प्रसारण	18, 19, 20, 21 और 22 फरवरी 2008 (5 दिन)	डॉ. श्रीमती उज्ज्वल चक्रदेव, श्रीमती मनोरमा बाई मंडले, वास्तुकला विभाग, नागपुर	15
9.	वास्तुकला में बुनियादी डिजाइन, सौंदर्यशास्त्र तथा सर्जनात्मकता	10 मार्च से 14 मार्च 2008 (5दिन)	ए आर प्रदन्य चौहान और डॉ. मिलिंद तेलंग	11

ख) प्रकाशन:

वास्तुकला परिषद् और राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र एसोशिएशन (नासा) के बीच हुए समझौते के अनुसार 'निआसा' ने 2006 में नासा द्वारा आयोजित की गई हुडको ट्राफी प्रतियोगिता के प्रलेखन का मुद्रण एवं प्रकाशन किया ।

तीन और पुस्तकों का मुद्रण किया जा रहा है । इन पुस्तकों के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और पुस्तकें मुद्रण के लिए तैयार हैं ।

- सीस्मिक सेफ्टी इन आर्कीटेक्चर - वा. प्रबीर दास और ले. रामनाथन
- आर्कीटेक्चरल प्रैक्टिस इन इंडिया - वा. माधव देवभक्त
- ट्रेडीशनल आर्कीटेक्चर-हाउस फार्म ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ बोहराज इन गुजरात - वा. माधवी देसाई

'निआसा' उन पुस्तकों का डिजाइन भी तैयार कर रहा है जिनकी संक्षिप्त सूची राष्ट्रीय शोध-प्रबंध अवार्ड्स कार्यक्रम (फाइनल) 2006 और 2007 के लिए तैयार की गई थी ।

ग. राष्ट्रीय वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा (नाटा):

उन प्रत्याशित उम्मीदवारों के लिए जो वास्तुकला को कैरियर के रूप में अपनाने की आशा कर रहे थे, वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा (1 मार्च 2007 से 31.10.2007 तक) आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया । 'नाटा' पूरे भारत में फैले 94 केंद्रों पर दी जा सकती थी । नाटा की 8758 परीक्षाएं आयोजित की गईं ।

'नाटा' का संचालन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया और फरवरी, 2007 में 'निआसा' पर उसकी बैठक हुई । बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विकल्पों पर विचार किया गया और उन्हें शामिल किया गया ।

घ. राष्ट्रीय शोध-प्रबंध अवार्ड्स कार्यक्रम:

वास्तुकला परिषद् ने युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व-स्नातक थीसिस परियोजनाओं हेतु एक राष्ट्रीय शोध-प्रबंध अवार्ड्स कार्यक्रम शुरू किया । वर्ष 2007 के अवार्ड कार्यक्रम 15 अगस्त 2007 से 2 अक्तूबर 2007 तक दो चरणों में आयोजित किए गए । आंचलिक कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए :

1. सूरत - इसका समन्वय वास्तुकला विभाग, सार्वजनिक इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कॉलेज, सूरत ने किया ।
2. कोल्हापुर - इसका समन्वय एस पी एस एम बी एच वास्तुकला कॉलेज, कोल्हापुर ने किया ।

3. चेन्नई इसका समन्वय [illegible] वास्तुकला अकादमी, चेन्नई ने किया ।
4. नागपुर इसका समन्वय [illegible] वाई मुंडन, आर्की. विभाग महिला [illegible] कॉलेज, नागपुर ने किया ।
5. चंडीगढ़ इसका समन्वय [illegible] वास्तुकला विद्यालय, चंडीगढ़ ने किया ।

आंचलिक कार्यक्रमों के लिए जूरी सदस्य ये थे :

श्री [illegible], श्री [illegible] और श्री एम. एन. आशिष गंजू (सूरत)

श्री [illegible] और श्री एम. के. दास (कोल्हापुर)

श्री [illegible], श्री [illegible] और श्री [illegible] पंड्या (चेन्नई)

डॉ. वी. एस. [illegible] श्री [illegible] और श्री मोहम्मद शहीर (नागपुर)

श्री [illegible], श्री [illegible] और श्री विनोद गुप्ता (चंडीगढ़)

राष्ट्रीय जूरी कोलकाता में आयोजित की गई । इसका समन्वय आइ आइ ए दी कोलकाता सेंटर ने किया। राष्ट्रीय फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे श्री कुलदीप सिंह, श्री क्रिस्टोफर बेनिन्गर और श्री प्रबीर मित्र । इन सभी पांच अंचलों में प्राप्त की गई कुल प्रविष्टियों की संख्या 76 थी ।

ड.) अन्य:

श्रीमती जयश्री देशपांडे ने सहायक निदेशक के रूप में 1 फरवरी, 2008 को 'निआमप' में कार्यग्रहण किया । वह 'निआमप' के शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करेंगी ।

13.0 **भारत सरकार द्वारा गठित किए गए छठे केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुति के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों में नियोजित वास्तुविदों के लिए वास्तुकलात्मक काडर हेतु पदों एवं वेतन मानों का सुझाव देने के वास्ते उप-समिति:**

वास्तुकला परिषद् के प्रसीडेंट ने एक उप समिति का गठन किया जिसमें ये लोग शामिल थे, श्री आर. एल. गोयल, मुख्य वास्तुविद (सेवानिवृत्त), हरयाणा सरकार संयोजक के रूप में तथा श्री डी. डी. वाकडे, मुख्य वास्तुविद (एन डी आर, को. लो. नि. वि., श्री आर. राधाकृष्णन, सहायक वास्तुविद्, पाँडिचेरी सरकार और श्री रमेश कुमार, वरिष्ठ वास्तुविद् (प्रभारी), अंडमान और निकोबार प्रशासन सदस्य के रूप में। इस उप समिति का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा गठित किए गए छठे केंद्रीय वेतन आयोग के समुचित विचारार्थ एक ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में कार्यरत वास्तुविदों के लिए पदों और वेतनमानों का सुझाव देना था । उप-समिति की बैठक 1 जून 2007 को नई दिल्ली स्थित परिषद् के कार्यालय में हुई और उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की । कार्यकारिणी समिति ने 6 जून, 2007 को हुई अपनी [illegible] बैठक में रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि उसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग के समुचित विचारार्थ प्रेषित किया जाए । इस रिपोर्ट को सार्वजनिक सेवाओं में वास्तुविदों की भूमिका के लिए दिशा निर्देश के रूप में तैयार किया गया है और उसे कार्यान्वयन / अंगीकरण के लिए सभी संबंधित संगठनों को भेज दिया गया है ।

14.0 **वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताएं:**

परिषद् ने वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताओं के लिए अपने द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनेक प्रवर्तकों यथा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय, नवोदय विद्यालय समिति तथा अन्य अनेक संगठनों को उनकी परियोजनाओं के लिए सहायता की है । प्रवर्तकों और प्रतियोगियों ने प्रतियोगिताओं का संचालन करने में जब भी परिषद् से दिशा निर्देश और निविष्टियों की मांग की उन्हें परिषद् द्वारा तुरंत उपलब्ध कराया गया ।

15.0 **वास्तुविद् की पदवी और शैली का दुरुपयोग करने से संबंधित शिकायतें:**

परिषद् ने 21.12.2008 को हुई अपनी [illegible] बैठक में वास्तुकला परिषद् के रजिस्ट्रार को इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया कि वह निम्नलिखित [illegible] के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज कराए जिन्होंने वास्तुविद् अधिनियम,

1972 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अपने आपको वास्तुविदों के रूप में अयथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है या वास्तुविदों की पदवी और शैली का दुरुपयोग किया है :

1. राकेश गनपत वाघमारे, एम 29 वर्ष, शिक्षा- इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, निवासी डी/703, महादेव अपार्टमेंट, एन जी. सनसिटी के पास, ठाकुर गांव, कंडीवली (ईस्ट) मुंबई
2. मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी, एम 35 वर्ष शिक्षा. वास्तुकला में डिप्लोमा । कार्यालय और निवास सी / 104, गौरव सितारे बिल्डिंग, भाटिया हाई स्कूल के पीछे, साईबाबा नगर, बोरीवली (वेस्ट), मुंबई ।
3. भूषण विष्णु कुंकर, एम 31 वर्ष शिक्षा. सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, आफिस बिल्डिंग नं. 45/2229, गांधी नगर, समाधान कं., हाउसिंग सोसाइटी के सामने, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई।
4. जतिन बृजलाल शाह, एच 38, शिक्षा- सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ऑफिस बिल्डिंग नं. ए/1, राजश्री, अकोर्ड, टेली गली क्रास लेन, अंधेरी ईस्ट, मुंबई ।
5. श्री मुकेश कुमार सोनी, मै. सोनी एसोशिएट्स, 823, ग्राउंड फ्लोर, पी एंड टी गेट नं. 2 के सामने आई सी आई सी आई ए टी एम के पास, राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)

परिषद् ने उपर्युक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में शिकायतें दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

16.0 **प्रकाशन:**

वास्तुकला परिषद् द्वारा प्रत्येक महीने "आर्कीटेक्चर टाइम स्पेस एंड पीपल" नामक पत्रिका निकाली जा रही है । यह पत्रिका पंजीकृत वास्तुविदों को निःशुल्क भेजी जाती रही है । इस पत्रिका में परिषद् की गतिविधियाँ, वास्तुकला व्यवसाय से संबंधित मुद्दों तथा प्रौद्योगिकी की अद्यतन प्रगतियों एवं अनुप्रयुक्त नवाचारों की उपयोगी सूचना दी जाती है । सम्प्रति, इस पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन मै. लाइफ स्टाइल मीडिया, नई दिल्ली की सहायता से किया जा रहा है । परिषद् ने "डाइरेक्टरी आफ आर्कीटेक्ट्स" और "हैंडबुक ऑफ प्रोफेशनल डाकुमेंट्स 2007" का भी प्रकाशन किया है।

17.0 **राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संहिता:**

राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संहिता में विहित की गई डिजाइन संबंधी अर्हता वास्तुविदों के लिए भेदमूलक है और इससे वास्तुकला के व्यवसाय तथा आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिन्हें अर्हताप्राप्त व्यवसायियों की सेवायें मिलनी चाहिए। परिषद् ने इसको दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और अब यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है ।

18.0 **विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार:**

वास्तुकला परिषद् अपने नोडल मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अन्योन्यक्रिया करती रही है । इसका उद्देश्य सिंगापुर तथा अन्य देशों के साथ वि. व्या. सं. और सी ई सी ए में गेट्स से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करना है ताकि एक दूसरे के देशों की अर्हताओं को मान्यता देने के लिए एम आर ए किये जा सकें । वास्तुकला परिषद् के प्रेसीडेंट ने एक समिति गठित की है जिसमें संयोजक के रूप में श्री भरत सेठ और सदस्य के रूप में श्री विजय एम. पारेलकर और श्री अम्बरीश के. गुप्ता शामिल हैं । इस समिति का उद्देश्य वास्तुकला परिषद् तथा वास्तुविद् बोर्ड, सिंगापुर के प्रस्तावित प्रस्ताव-प्रारूपों को अंतिम रूप देना है ।

19.0 **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में लंबित प्रस्ताव:**

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन परिषद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ मामले केंद्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजे । तदनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वास्तुविदों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीयन के लिए फीस संरचना के परिशोधन, वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) नियमावली, 1983 में संशोधन और उन विभिन्न वास्तुकला विद्यालयों की अर्हताओं की मान्यता रद्द करने से संबंधित प्रस्ताव जो परिषद् के न्यूनतम मानकों के अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे थे, को भेजे गये । ये प्रस्ताव लंबे समय से

केंद्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा गया। 21.12.2007 को हुई 50वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद् द्वारा यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाया गया। बहरहाल, इन मामलों में उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

20.0 आभार:

वास्तुकला परिषद् अपने स्थापना के साथ अखिल भारतीय स्तर पर दक्षतापूर्वक काम कर रही है। परिषद् सभी वास्तुकला विद्यालयों और राज्य सरकारों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करती है। परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों, शिक्षाविदों और विज्ञापकों के प्रति वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्ग-दर्शन तथा सलाह के लिए आभार व्यक्त करती है।

परिषद् अपने लेखा परीक्षक, कार्यालय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2006-2007 के दौरान उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं।

(विनोद कुमार)
रजिस्ट्रार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.05.2008

शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

बी-9, सेकंड फ्लोर, पंचशील विहार
शेख सराय फेज I, नई दिल्ली-110017
दूरभाष: +91 11-32494946, टेलीफैक्स: +91 11 29545298, 40511100
मोबाइल: 9810570480, 9811488709
ई मेल: saa_icai@rediffmail.com
saa-icai@yahoo.co.in

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने वास्तुकला परिषद्, इंडिया हैबिटट सेंटर, कोर 6 ए प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 के 31 मार्च, 2008 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा और प्राप्ति तथा अदायगी लेखा (इसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल हैं) की परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण किसी विशेष गलत विवरण से मुक्त है। लेखा-परीक्षा में नमूने के आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटनों का पोषक साक्ष्य शामिल होता है। लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि अनुलग्नक सं. 14- लेखाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ नोट सं. 10 और 11 के अध्यधीन हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है।

हम रिपोर्ट देते हैं कि-

1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, जैसा कि हमारे द्वारा इन बहियों की जांच करने से पता चलता है, परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम 1972 की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा-बहियां रखी हुई हैं;
3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति तथा अदायगी लेखा, लेखा-बहियों से मेल खाता है;
4. हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण में

(क) 31 मार्च, 2008 को परिषद् की कार्य-स्थिति से संबंधित तुलन-पत्र,

(ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय के आय-व्यय लेखे,

और

(ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

ह.
(शैलेश कुमार)
भागीदार, एम नं. 077337

दिनांक : 24.05.2008 स्थान : नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली (लाभेतर संगठन)
31 मार्च 2008 को तुलन-पत्र (राशि-रु.)

	अनुसूची	चलू वर्ष	गतवर्ष
समग्र/पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
उद्दिष्ट निधियां	1	88609255.00	77092840.00
असुरक्षित ऋण	2	150000.00	150000.00
चालू देयताएं	3	1495559.00	3334187.10
जोड़		**90254814.00**	**80577027.10**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	4	6878372.00	7043861.30
निवेश	5	69855000.00	72903438.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगियां	6	10913532.06	11236527.91
अधिशेष / घाटा लेखा	7	2607909.94	-10606800.11
जोड़		**90254814.00**	**80577027.10**
लेखाकरण नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियां	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

विनोद कुमार
(रजिस्ट्रार)

ह0
(प्रेसीडेंट)

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

(शैलेश कुमार)
एम.एन. 077337

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 24.05.2008

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली (लाभेतर संगठन)

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय (राशि-रु.)

		अनुसूची	चालू वर्ष	गतवर्ष
आय				
फीस		8	[illegible]	15766420.00
अन्य आय		9	[illegible]	[illegible]218269.20
प्रकाशनों की बिक्री से आय		10	528830.00	479197.00
अर्जित ब्याज		11	5603008.00	5145043.00
	जोड़		19575064.00	22608929.20
व्यय				
स्थापना व्यय		12	7035337.00	5548666.00
प्रशासनिक व्यय		13	25306769.75	15953902.35
मूल्यह्रास		4	447667.30	658771.00
	जोड़		32789774.05	22161339.35
व्यय से अधिक आय का शेष (कम/अधिक)			13214710.05	447589.85
अधिशेष तथा चालू लेखा में अंतरित			13214710.05	447589.85
लेखाकरण नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियां		14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

विनोद कुमार	ह0	(शैलेश कुमार)
(रजिस्ट्रार)	(प्रेसीडेंट)	एम.एन. 077337

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : [illegible].05.2008

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली (लाभेतर संगठन)

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा (राशि रु.)

	प्राप्तियां	चालू वर्ष	गतवर्ष		अदायगियां	चालू वर्ष	गतवर्ष
I	अथशेष	1,10,870.00	[illegible]	I	**व्यय**		
क)	हाथ रोकड़			क)	स्थापना व्यय (अनुसूची 14 के अनुरूप)	70,35,337.00	55,48,666.00
ख)	बैंक शेष			ख)	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 15 के अनुरूप)	2,53,06,769.75	1,91,53,693.35
1)	चालू खाते में	[illegible]	[illegible]				
2)	बचत खाते में	35,41,384.95	[illegible]				
3)	मांग ड्राफ्ट	5,20,690.00	[illegible]				

II	**प्राप्त निधियां**			II	**विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से की गई अदायगियां**		
क)	क्यू आई पी सहभागिता फीस	0.00	3,59,662.00	क)	एम एच ए व्यय	34,425.00	20,000.00
ख)	मूल्यांकन फीस.	18,91,275.00	60,75,000.00	ख)	नाटा व्यय	0.00	34,31,272.00
ग)	डाइरेक्टरी आफ आर्कीटेक्ट्स	0.00	8,05,181.00	ग)	पुस्तकों की खरीद	0.00	3,68,709.00
घ)	माध्यस्थम् फीस	3,900.00	1,500.00	घ)	क्लिमोन व्यय	0.00	5,350.80
ड.)	क्लिमोन से प्राप्तियां	0.00	1,49,200.00	ड.)	डाइरेक्टरी ऑफ आर्कीटेक्ट्स (व्यय)	0.00	1,12,240.00
III	**प्राप्त ब्याज**			च)	सी. पी. एफ. अंशदान	0.00	2,44,321.00
क)	बैंक जमा पर	51,35,132.00	51,37,020.00	छ)	पेशगियां-समायोजित / बट्टे खाते डाली गई	15,38,879.00	7,18,851.00
ख)	ऋण पेशगियों पर	3,62,103.00	4,91,659.00	III	**किए गए निवेश और जमा**		
ग)	बचत बैंक खाते पर	50,526.00	40,466.00	क)	उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से	6,30,00,000.00	1,06,65,119.00
घ)	आयकर विभाग से	1,118.00	0.00	ख)	निजी निधियों से (निवेश-अन्य)	0.00	31,37,644.00
IV	**फीस से आय**			IV	**स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत चालू कार्य का व्यय**		
क)	पंजीकरण फीस	11,14,000.00	11,12,200.00	क)	स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	2,85,578.00	22,34,169.00
ख)	वार्षिक नवीकरण फीस	21,50,700.00	22,91,800.00				
ग)	पुन: स्थापन फीस	13,32,000.00	13,46,000.00				
घ)	अनुलिपि प्रमाण-पत्र फीस	76,500.00	70,000.00				
ड.)	नास्तुविदों से जुर्माना	34,00,830.00	25,40,660.00				
च)	एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	24,36,285.00	84,05,760.00				

V	अन्य आय			V	अन्य अदायगियां		
क)	प्रकाशनों से आय	1,99,350.00	[illegible]	क)	बैंक / कंपनियों द्वारा काटा गया टी डी एस	1,15,609.00	11,322.00
ख)	पत्रिकाओं की रायल्टी तथा अभिदान	2,24,350.00	[illegible]	ख)	स्टाफ को पेशगियां	0.00	16,45,236.00
ग)	समता फीस (निवल)	7,000.00	6,000.00	ग)	अन्य पेशगियां	[illegible]	18,27,704.00
घ)	विविध प्राप्तियां	0.00	23.00	घ)	लेखागत आंशिक फीस	2,72,560.00	0.00
ङ)	आर टी आई फीस	20.00	60.00	ङ)	बैंक द्वारा नामे डाले गए टी डी एस पर ब्याज	0.00	1,58,773.00
च)	नाटा फीस	10,30,716.00	26,22,400.00	च)	एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	94,36,285.00	84,05,760.00
VI	अन्य प्राप्तियां			VI	अथशेष		
क)	एक बारगी नवीकरण फीस	1,59,52,700.00	[illegible]	क)	हाथ रोकड़	20,700.00	1,10,870.00
ख)	वर्ष के दौरान परिपक्व एफ डी आर	6,60,48,438.00	[illegible]	ख)	बैंक शेष		
ग)	उपस्करों की बिक्री	3,400.00	95,000.00	1)	चलू खाते में	1,77,280.67	97,446.67
घ)	लेखागत आंशिक फीस (निवल)	0.00	4,84,692.00	2)	बचत खाते में	25,48,267.91	35,41,384.95
ङ)	स्टाफ से वसूल की गई पेशगियां	10,54,212.00	18,15,539.00	3)	मौजूदा ड्राफ्ट	4,09,860.00	5,40,690.00
च)	वसूल की गई अन्य पेशगियां	6,01,500.00	27,56,572.35				
	जोड़	10,54,66,446.91	6,39,79,221.77		जोड़	10,54,66,446.91	6,39,79,221.77

वास्तुकला परिषद के लिए और उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार

विनोद कुमार
(रजिस्ट्रार)

ह0
(प्रेसीडेंट)

(शैलेश कुमार)
एम.एन. 077337

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 24.05.2008

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058, दिनांक 24 नवम्बर 2008

संचयिका सं. 20-15/2008-रा.प.(ए)/उड़ीसा--भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा (1) के अनुभाग 27 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबन्धक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, उड़ीसा आयुर्वेदिक चिकित्सा राज्य परिषद्, भुवनेश्वर, उड़ीसा के पत्रांक 421/ओ.एस.सी.ए.एम. दिनांक 17.08.2006 उवं पत्रांक 304/ओ.एस.सी.ए.एम. दिनांक 22.03.2007 से प्राप्त पत्र के आधार पर उड़ीसा राज्य से सम्बन्धित केन्द्रीय पंजिका जो भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 19 दिनांक 08 मई 2003 एवं अधिसूचना संख्या 47 दिनांक 09 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित हुई थी से निम्नलिखित केन्द्रीय पंजिका क्रमांक 80112, 80145, 80352, 80415, 93089 एवं उनसे सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियां केन्द्रीय पंजिका से हटाता है।

प्रेमराज शर्मा
निबन्धक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400 005, the 26th December 2008

Ref. DBS.ARS. No. 7892/08.21.002/2008-09—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India Act, 1955 and in consultation with the Central Government, the Reserve Bank of India has appointed the following audit firms as statutory circle auditors of the State Bank of India for the year 2008-09 who shall hold office until the next Annual General Meeting of the bank.

1. M/s D. P. Sen & Co., Kolkata
2. M/s G.M. Kapadia & Co., Mumbai
3. M/s R.G.N. Price & Co., Chennai
4. M/s S.K. Mittal & Co., New Delhi
5. M/s Vardhaman & Co., Chennai
6. M/s V.K. Jindal & Co., Ranchi
7. M/s Jain Kapila Associates, Delhi
8. M/s A.K. Sabat & Co., Bhubaneswar
9. M/s Datta Singla & Co., Chandigarh
10. M/s Dutta Sarkar & Co., Kolkata
11. M/s Gupta & Shah, Kanpur
12. M/s Guha Nandi & Co., Kolkata
13. M/s A.R. Viswanathan & Co., Bangalore
14. M/s Chokshi & Chokshi, Mumbai

J. R. P. RATNARAO
Chief General Manager

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 5th January 2009

No. NHB.HFC.DIR. 26/CMD/2009—The National Housing Bank being satisfied that, in the public interest it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely :—

I. Under the instructions "General" for filling and submission of the return Schedule I (Annual Return) in Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 for paragraph 1, the following shall be substituted, namely:—

"1. The return after compilation, should be submitted by a housing finance company once a year as early as possible after March 31 and latest by June 30 with reference to its position as on March 31 irrespective of the date of closing of the financial year of the company, to the Head office of the National Housing Bank, New Delhi as specified in paragraph 40 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. A certificate from the auditors of the company as required in terms of paragraph 38 of the Notification should be appended to the return."

II. Under the heading "SCHEDULE II" (Half-Yearly Return as on March 31/September 30,) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 the instruction reading "(To be submitted within two months from close of the half year)" shall be substituted, namely:—

"(To be submitted within 6 weeks from close of the half year)"

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the

No. N-15/13/13/3/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2008 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely :—]

Sl. No.	Revenue Village	Revenue Pargana	Tehsil	District
1.	Lehar Gird	Jhansi	Jhansi	Jhansi
2.	Bhagwantpura	Jhansi	Jhansi	Jhansi
3.	Kochha Bhawar	Jhansi	Jhansi	Jhansi
4.	Karai	Jhansi	Jhansi	Jhansi
5.	Pichhor	Jhansi	Jhansi	Jhansi
6.	Kargawan	Jhansi	Jhansi	Jhansi

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/10/1/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2008 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :-

"The areas comprising of the Municipal limits of Berhampur in the district of Ganjam except the areas in which the said provisions of the Act have already been brought into force" and

1. The revenue villages of Ramepali, Sankarpur, Mandarajpur, Sundararaypur, Ankushpur, Sanakusastali under the Tehsil Berhampur in the District of Ganjam.
2. The revenue villages of Ragunathpur, Narendrapur under Tehsil Chatrapur in the District of Ganjam and
3. The revenue villages of Haladiapadar, Ratasa, Konisi, Hingalapalli under Tehsil of Kotasa in the district of Ganjam.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/12/2005-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2008 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :-

Centre	Areas comprising the revenue villages of
Gopichettipalayam area,	1. Veerapandi-Gopi Town
Gopichettipalayam Taluk,	2. Pariyur
Erode District	3. Cholamadevikkanai
	4. Alukkuli (A)
	5. Alukkuli (B)
	6. Modachur
	7. Kullampalayam
	8. Kalangiam (A)
	9. Kalangiam (B)
	10. Lakkampatti

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/8/2/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2008 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Himachal Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1977 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Himachal Pradesh namely :

1. Industrial area Mandi (Hadbast No. 366) and near by areas of Ratti (Hadbast No. 193), Ner Chowk (Hadbast No. 222), Bhangrotu (Hadbast No. 221), Chakkar and Gutkar (Hadbast No. 208) areas of Distt. Mandi.
2. Industrial area of Gargret (Hadbast No. 140) and Bathree (Hadbast No. 476) areas of Distt. Una.
3. Industrial area of Golthai (Hadbast No. 372) of Distt. Bilaspur.
4. Industrial area of Shoghi (Hadbast No. 95 Old No.) of Distt. Shimla.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

New Delhi, the 15th September 2008

No. U-16/53/99-Med. II (Guj)—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for the areas to be allocated by State Medical Commissioner Gujrat for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of Doctor	Period	Name of Centre
Dr. A.H. Shah	1.8.2008 to 31.7.2009	Saraspur, Odhv, Bapunagar, Gomtipur.

DR. J. P. BHANSE
Medical Commissioner

New Delhi, dated the 30th December, 2008

No. A-12/11/8/2000-E.I - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2 A) of section 97 and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 and Employees' State Insurance Corporation(Recruitment) Amendment Regulations, 1970, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following Regulations regulating the method of recruitment to the post of Assistant Actuary in the Employees' State Insurance Corporation, namely :-

1. Short title and commencement -

   (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Assistant Actuary) Recruitment Regulations, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay - The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. The method of recruitment, age limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification - No person,

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts;

   Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters - Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions, laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, applicable to the corresponding category of posts in the Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these Regulations.

7. Savings - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman, the Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT ACTUARY IN E.S.I. CORPORATION

NAME OF POST	NO. OF POST	CLASSI-FICATION	SCALE OF PAY (Rs.)	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST	WHETHER BENEFIT OF ADDED YEARS OF SERVICE ADMISSIBLE	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQD. FOR DIRECT RECRUITS
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Actuary	01* *(2008) Subject to variation dependent on work load	Group 'A' (Non Ministerial)	10000-325-15200	NA	No	N.A.	Not applicable

SCHEDULE

WHETHER AGE & EQ. PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION IF ANY	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION & % OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION /DEPUTATION / ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DPC EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
9	10	11	12	13	14
NA	NA	Composite Method (Deputation (ISTC) Plus Promotion)	**Deputation (ISTC) Plus Promotion** Officers under the Central/State Govts./UTs/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Govt./ Statutory or Autonomous Organization or Employees of other Insurance Corporations:— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:— **Essential:—** (i) Degree of a recognized university or equivalent. (ii) Associateship in the Actuarial Society of India. (iii) Five years experience in actuarial work in a Government or Quasi Government or in an Insurance Organization. **NOTE:** The Departmental Deputy Director (Actruarial) in the scale of pay of Rs. 8000-13500 with five years regular service shall also be considered alongwith deputationists and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed foure years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]	Not applicable	Consultation with UPSC necessary.

(PRABHAT C. CHATURVEDI)
DIRECTOR GENERAL

No. A-12/11/9/2000-E.I - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2 A) of section 97 and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Assistant Director(Actuarial) Recruitment Regulations, 1991 and Employees' State Insurance Corporation, Deputy Director(Actuarial) Recruitment(Amendment) Regulations, 1997, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, the following Regulations regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director(Actuarial) in the Employees' State Insurance Corporation, namely :-

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation [Deputy Director (Actuarial)] Recruitment Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay - The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. The method of recruitment, age limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters - Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions, laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, applicable to the corresponding category of posts in the Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these Regulations.

7. Savings - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman, the Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (ACTUARIAL) IN E.S.I. CORPORATION

NAME OF POST	NO. OF POSTS	CLASSIFICATION	SCALE OF PAY (Rs.)	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST	WHETHER BENEFIT OF ADDED YEARS OF SERVICE ADMISSIBLE	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQD. FOR DIRECT RECRUITS
1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy Director (Actuarial)	01* (2008) Subject to variation dependent on work load	Group 'A' (Non Ministerial)	8000 - 275 - 13500	NA	No	Not exceeding 35 years. #	**ESSENTIAL** (i) Degree in Actuarial Science from a recognized university or equivalent. (ii) Two years experience on the job in the relevant field OR (i) Degree in any subject from a recogaized University or equivalent (ii) Post Graduate diploma in Actuarial Science or equivalent from a recognized university institute. **Note 1:** Qualification are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified **Note 2:** The qualification (s) regarding experience is are relaxable at the discretion of the UPSC For reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to schedule castes or scheduled tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

 # Under Col.7

(Relaxable for Government servants/employees of Employees State Insurance Corporation upto Five Years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tirupara, Sikkim Ladakh Division of J&K State, Lahul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pracesh Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep.

$ Under Col.11

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or

(ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs 8500-10500 or equivalent in the parent cadre/department; And

(b) Possessing the educational qualification prescribed for Direct Recruitment under Col. 8

Note: The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications

SCHEDULE

WHETHER AGE & EQ. PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION IF ANY	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION & % OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION /DEPUTATION / ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DPC EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
9	10	11	12	13	14
'NA	One year for direct recruits	Direct recruitment $	Not applicable	Group 'A' DPC (for Confirmation) 1. Director General, ESIC .....Chairman 2. Addl. Commissioner (P&A), ESIC .....Member 3. Actuary, ESIC .....Member	Consultation with UPSC necessary.

(PRABHAT C. CHATURVEDI)
DIRECTOR GENERAL

No. A-12/11/7/2000-E.I - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2 A) of section 97 and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, the following Regulations regulating the method of recruitment to the post of Actuary in the Employees' State Insurance Corporation, namely :-

1. Short title and commencement -

(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Actuary) Recruitment Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay - The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. The method of recruitment, age limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters - Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions, laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, applicable to the corresponding category of posts in the Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these Regulations.

7. Savings - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman, the Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF ACTUARY IN E.S.I. CORPORATION

NAME OF POST	NO. OF POST	CLASSI-FICATION	SCALE OF PAY (Rs.)	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST	WHETHER BENEFIT OF ADDED YEARS OF SERVICE ADMISSIBLE	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQD. FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE & EQ. PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Actuary	01* *(2008: Subject to variation dependent on work load	Group 'A' (Non Ministerial)	14300-400-18300	NA	No	NA	Not applicable	NA

SCHEDULE

PERIOD OF PROBATION IF ANY	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION & % OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION /DEPUTATION / ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DPC EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
10	11	12	13	14
NA	Composite Method (Deputation (ISTC) Plus Promotion)	**Deputation (ISTC) Plus Promotion** Officers under the Central/State Govts./ UTs/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-Govt./Statutory or Autonomous Organization or Employees of other Insurance Corporations:— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/- or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200/- or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience :— **Essential:—** (i) Degree of a recognized university or equivalent. (ii) Fellow of the Actuarial Society of India. (iii) Twelve years experience in insurance/ actuarial work in a Government or Quasi Government or in an Insurance Organization out of which three years experience should be in Administration under Government or in an Insurance Organization. Desirable :— (i) One year experience in Labour Laws and Social Insurance. **NOTE:** The Departmental Assistant Actuary in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200 with the ten years regular service shall also be considered alongwith deputationists and in case he is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]	Not applicable	Consultation with UPSC necessary.

(PRABHAT C. CHATURVEDI)
DIRECTOR GENERAL

COUNCIL OF ARCHITECTURE

New Delhi-110 003

ANNUAL REPORT 2007 – 2008

The Council of Architecture, a statutory body constituted under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ended on 31.03.2008.

Organisational Structure:

President, Council of Architecture is head of the organization under whose overall charge the Council functions. Presently Prof. Vijay Shrikrishna Sohoni is the President of the Council of Architecture.

The Council consists of elected and nominated representatives as members, namely, a nominee of the Central Government, an architect nominated by each State Government and Union Territory, five representatives elected from amongst members of the Indian Institute of Architects, five persons elected from amongst heads of architectural institutions, the Chief Architect (ex-officio) of Central Public Works Department and Military Engineering Services, Ministry of Defence & Ministry of Railways, two persons nominated by Institution of Engineers (India) from among its members and one person nominated by the Institution of Surveyors of India from among its members.

The Registrar carries out all the statutory functions with the assistance of other officers and employees under the general supervision of the President and Committees of the Council.

The Council has prescribed following Regulations, Professional Documents, Guidelines under the provisions of the Architects Act, 1972, among others, for the purpose of the regulating the Architectural Education and Architectural Profession:

1. Council of Architecture Regulations, 1982.
2. Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1983, as amended in 2006.
3. Revised Guidelines on Admission to the 1st year of full-time 5 year degree course in Architecture.
4. Revised Minimum Qualification and Experience for Teaching Posts in Degree Level Architectural Institutions
5. Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003.
6. Architectural Practice – Conditions of Engagement and Scale of Charges.
7. Architectural Competitions Guidelines.
8. Architectural Practice – Architect's Professional Liability.
9. Guidelines of Consultancy Practice for the Faculty Members of the Schools of Architecture.
10. Minimum Standards of Architectural Education Guidelines for Post-Graduate Programme – 2006.
11. Guidelines for Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Architecture.
12. Guidelines on Role of Architects in Public Services

Statutory and Other Committees:

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected.

Meetings of the Council and its Committees:

During the year under report, the Council met twice i.e. 49th Meeting was held on 29th June, 2007 at Mussoorie and 50th Meeting was held on 21st December, 2007 at Portblair.

The Executive Committee met four times i.e. 90th Meeting on 6th June, 2007 at New Delhi, 91st Meeting on 28th June, 2007 at Mussoorie, 92nd Meeting on 10th September, 2007 at Cuttack, and 93rd Meeting on 24th October, 2007 at Panchkula.

The various decisions and actions taken by the Council during the year under report are summarized as under:

1.0 APPOINTMENT OF AUDITORS FOR AUDITING BOOKS OF ACCOUNTS OF THE COUNCIL OF ARCHITECTURE FOR THE YEAR 2006-2007 AND TO FIX THE AUDIT FEE:

The Council at its 49th Meeting held on 29.06.2007, approved the appointment M/s. Shailesh Aggarwal & Associates, Chartered Accountants, B-91, IInd Floor, Panchsheel Vihar, Sheikh Sarai Phase-I, New Delhi-110017, as an auditor for auditing books of accounts of the Council for the financial year 2006-2007.

Further, the Council at its 50th Meeting held on 21.12.2007, approved the appointment of M/s. Shailesh Aggarwal & Associates, Chartered Accountants, B-91, IInd Floor, Panchsheel Vihar, Sheikh Sarai Phase-I, New Delhi-110017, as an auditor for auditing books of accounts of the Council for the financial year 2007-2008.

2.0 RESTORATION OF NAMES TO THE REGISTER OF ARCHITECTS MAINTAINED BY THE COUNCIL UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council at its 49th meeting approved the restoration of names of 457 defaulting architects, whose name were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fee, during the period from 15.11.2006 to 31.05.2007.

The Council at its 50th Meeting approved the restoration of names of 802 defaulting architects, whose name were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fee, during the period from 01.06.2007 to 15.11.2007.

3.0 REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF ARCHITECTS DUE TO REQUEST AND DEATH:

The Council at its 49th meeting removed the name of Shri B. Jayahari, Architect, upon his death and also removed the names of following architects upon their request :

(1) Shri Dev Raj Rishiraj, (CA/82/6758) Delhi;
(2) Shri Madhukar Digamber Rao Bindu (CA/94/17908), Aurangabad;
(3) Shri Sudhakar Dhondo Kawle, (CA/91/13803) Mumbai;
(4) Ms. Ruchi Jain, (CA/2002/29349) Dehradun;
(5) Shri Sanjay Vinayak Kulkarni, (CA/81/6705) Pune;
(6) Shri Y. C. Deekshit, (CA/75/1474) Bangalore; and
(7) Shri B. R. Wadhera, Jammu (CA/76/2338).

The Council at its 50th Meeting removed the names of the following architects upon their death :

i) Shri Manohar Gopalrao Deshmukh (CA/75/629);

ii) Shri S. R. Das (CA 80/5787);
iii) Shri M. P. Kini (CA 76/2619);
iv) Shri K. Sambhasiva Rao (CA 92/14799); and
v) Shri Karam Chand Thakur (CA/76/2711).

Further, names of following architects were removed upon their request:

(1) Shri Talsania Mansukhlal Gordhandas (CA/75/1137); and
(2) Shri Pravin Chandra (CA/81/6692).

4.0 REGISTRATION OF ARCHITECTS :

The Council registers a person as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification.

During the year (1st April, 2007 to 31st March, 2008), the Council has registered 2299 persons as architects and with this as on 31st March, 2008, a total of 42205 persons have been registered as architects with Council of Architecture.

5.0 INVOKING OF SECTION 20 OF THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council at its 49th Meeting invoked Section 20 of the Architects Act, 1972, and submitted its recommendations for withdrawal of recognition by Central Government in respect of the following institutions who failed to maintain the minimum standards as prescribed by the Council :

i) Government College of Architecture, Lucknow ; and
ii) National Institute of Technology (Deemed to be University), Patna.

Further, the Council at its 50th meeting invoked Section 20 of the Architects Act, 1972 in respect of following institutions :

i) Marathwada Mitra Mandal's College of Architecture, Pune; and
ii) School of Planning & Architecture, New Delhi.

The recommendations of the Council for de-recognition of Associate Membership of Indian Institute of Architects (By Examination) and B.Arch. awarded by Jai Narain Vyas University, Jodhpur, are already pending with the respective State Government and Central Government.

6.0 RESIGNATION OF VICE-PRESIDENT, COUNCIL OF ARCHITECTURE:

The Council at its 49th Meeting held on 29.06.2007, accepted the resignation tendered by Shri Vijay Uppal from the Office of the Vice-President, Council of Architecture owing to work pressure in his office as Chief Architect, Government of Himachal Pradesh.

7.0 DEEMED VACATION OF MEMBERSHIP OF THE COUNCIL:

Section 6(3) (i) of the Architects Act, 1972, provides that a member shall be deemed to have vacated his seat if he is absent without excuse, sufficient in the opinion of the Council, from three consecutive ordinary meetings of the Council. The Council at its 50th meeting held on 21.12.2007, noted that since Shri Jagvir Singh Rawat, nominee Government of Uttar Pradesh and Shri Dawa Tsering, nominee Govt. of Arunachal Pradesh, were absent during the last three meetings of the Council i.e. 47th Meeting, 48th meeting and 49th Meeting and no intimation was received from them seeking leave of absence. Therefore, both Shri Jagvir Singh Rawat and Shri Dawa Tsering deemed to have vacated their seats as members of the Council.

8.0 CO-OPTING S/ SHRI I.J.S. BAKSHI AND PRAKASH DESHMUKH, MEMBERS OF THE COUNCIL, AS MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COUNCIL :

The Executive Committee of the Council at its 93rd Meeting held on 24.10.2007, noted that Mrs. K. Rajalakshmi & Shri R. L. Goyal who were elected to the Executive Committee have ceased to be members of the Council and therefore also ceased to be members of the Executive Committee. It is, therefore, absolutely necessary that in order to fill these vacancies to co-op two members of the Council on the Executive Committee so that the Executive Committee could function smoothly and its work is not hampered. Therefore, S/Shri I.J.S. Bakshi, Chandigarh and Prakash Deshmukh, Pune, members of the Council, were co-opted as members of the Executive Committee.

9.0 DISCIPLINARY ACTION ON ARCHITECTS:

Each and every architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the architect.

During the year under report, the Council at its 49th meeting held on 29th June, 2007, considered 10 cases of professional misconduct against architects. Council also considered **8** fresh complaints and referred 5 cases to the Disciplinary Committee for detailed investigation and submitting its report.

The Council at its 50th Meeting held on 21.12.2007 considered 13 fresh complaints for professional misconduct against architects and referred 5 cases to Disciplinary Committee for detailed investigation and submitting its report.

At this meeting, the Council also re-constituted the Disciplinary Committee by including Shri I.J.S. Bakshi in place of Shri P. R. Das, who ceased to be a member of the Council. The Disciplinary Committee is now comprised of Shri N. B. Shelar and Shri I.J.S. Bakshi.

10.0 APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2007 – 2008:

During the year under report **4** New institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and **1** institution each for M.Arch. & Ph.D in Architecture degree course. In the already existing institutions, **3** new B.Arch. courses & **9** new M.Arch. courses, were granted approval. With this, the total number of institutions imparting recognized courses in architecture has risen to **139** in 2007-2008 from 137 in 2006-2007. The annual intake of students at Undergraduate (UG) level is **6627,** Postgraduate (PG) level is **1140** and at Ph.D is **10.**

11.0 EXTENSION OF APPROVAL FOR THE ACADEMIC SESSION 2007-2008 ONWARDS:

Council of Architecture granted extension of approval or otherwise to **122** institutions for the academic session 2007-2008 as under:

i) Institutions granted extension of approval for B.Arch. Course for 2007-2008 onwards with existing or higher intake:**96.**
ii) Institutions granted extension of approval for M.Arch. Course for 2007-2008 onwards with existing or higher intake:**26.**
iii) Institutions put on 'No Admission' for 2006-2007: **5**
iv) Institutions put on 'Withdrawal of recognition' in 2007-2008: **2**

The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2008-2009 of institutions, which are due for inspections.

12.0 NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN ARCHITECTURE (NIASA):

The National Institute of Advanced Studies in Architecture (NIASA) was established on 15th July 2005 at the campus of CDSA (Centre for Development Studies & Activities), Pune, by Council of Architecture. It serves as the Academic Unit of the Council of Architecture and is directly operated by COA.

During the period under report the following activities were conducted by NIASA :

A. Workshops and Teachers' Training Programmes

Sr No.	Name of Programme	Dates of Programme	Names of Coordinators	No. of Participants
1	Workshop on Curriculum Development for B. Arch courses.	23rd April & 24th April 2007	P. M. Kanvinde Director, NIASA	31
2	Gen 5 ARCHITECTURE (Technology Tools and Sustainability)	28th May to 1st June 2007	Dr.R.K.PANDIT, Professor & Head, Department of Architecture, MITS, Gwalior.	08
3	Induction Training program for Fresh Teachers	4th June 2007 to 8th June 2007	P. M. Kanvinde	12
4	Dimensional Stones (part of Global Stone Technology Forum GSTF), Centre for Development of Stones (CDOS), Jaipur	22nd 24th November, 2007 (3 Days)	Director, NIASA Centre for Development of Stones (CDOS), Jaipur	04
5	Building Project Management (BPM)	23rd 25th November, 2007 (3 Days)	Dr. R.K. Pandit (Head, Dept. of Arch., MITS, Gwalior) and Team of Experts	08
6	Physical Informatics	14th 18th January, 2008 (5 days)	Dr. R.K. Pandit (Head, Dept. of Arch., MITS, Gwalior) and Team of Experts	09
7	BIM Software Training Program	11th 13th February, 2008 (3 days)	Expert Architects in the field & Adroitec Information Systems, New Delhi	15
8	Transmission of knowledge in Architecture	18th, 19th, 20th, 21st & 22nd of February, 2008 (5 days)	Dr. Mrs. Ujwala Chakradeo, Smt.Manoramabai Mundle Department of Architecture, Nagpur.	15
9	Basic Design, Aesthetics and Creativity in Architecture	10th March to 14th March 2008 (5 days)	Ar. Pradnya Chauhan and Dr. Milind Telang	11

B. Publications

As per the understanding reached between Council of Architecture and National Association of Students of Architecture (NASA), NIASA printed and published the documentation of HUDCO trophy competition held by NASA in 2006.

Three more books in the process of printing where design of the books is finalized and books are ready to go printing.

- **Seismic Safety in Architecture** - Ar. Prabir Das & Ar. Ramanathan
- **Architectural Practice in India** – Ar. Madhav Deobhakta
- **Traditional Architecture- House form of the Islamic Community of Bohras in Gujrat** – Ar. Madhavi Desai

The NIASA is also in process of designing the books to publish entries that were shortlisted for National finals for Thesis Awards program 2006 & 2007.

C. National Aptitude Test in Architecture

National Aptitude Test in Architecture was offered to prospective candidates looking forward to take up Architecture as career from 1st March 2007 till 31st October 2007. NATA was available at 94 centers spread across India and 8758 tests were conducted for NATA.

An advisory committee for conduct of NATA was formulated and had its meeting at NIASA in February 2007. The opinions expressed by the members of committee were considered and incorporated.

D. National Thesis Awards Program.

Council of Architecture has through NIASA initiated a National Thesis Awards Program for Undergraduate thesis projects to encourage the young talent. Awards program for 2007 was conducted in two phases from 15th August 2007 to 2nd October 2007. The zonals were held at the following places.

1. **Surat** – Coordinated by Dept of Arch. Sarvajanik College of Engg and Tech. Surat.
2. **Kolhapur** – Coordinated by SPSMBH College of Architecture, Kolhapur.
3. **Chennai** – Coordinated by Measi Academy of Architecture, Chennai.
4. **Nagpur** – Coordinated by Smt. Manoramabai Mundle Dept of Arch of LAD College for Women, Nagpur.
5. **Chandigarh** – Coordinated by Chitkara School of Architecture, Chandigarh.

The members of Jury for zonals were –

Ar. Miki Desai, Ar. Vikas Bhandari & Ar. M. N. Ashish Ganju (Surat)
Ar. Meena Mani, Ar. Jaimini Mehta & Ar. S. K. Das (Kolhapur)
Ar. Kamu Iyer, Ar. Ujjan Ghosh & Ar. Yatin Pandya (Chennai)
Ar. Dr. B. S. Bhoosan, Ar. Sanjay Kanvinde & Ar. Mohd. Shaheer (Nagpur)
Ar. Prem Chandavarkar, Ar. K. Jaisim & Ar. Vinod Gupta (Chandigarh)

National Jury was held at **Kolkata** – Coordinated by IIID Kolkata center. The members of Jury for National final were – Ar. Kuldip Singh, Ar. Christopher Benninger and Ar. Prabir Mitra. Total number of entries received in all five zones together were 76.

E. Other

Mrs. Jayashree Deshpande joined NIASA as Asst. Director from 1st February 2008. She will coordinate Teachers' Training programs of NIASA.

13.0 SUB-COMMITTEE TO SUGGEST POSTS AND PAY-SCALES FOR ARCHITECTURAL CADRE FOR ARCHITECTS EMPLOYED IN CENTRAL GOVT., STATE GOVERNMENTS AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS FOR PRESENTATION TO 6TH CENTRAL PAY COMMISSION CONSTITUTED BY THE GOVERNMENT OF INDIA

President, Council of Architecture, constituted a Sub-Committee comprising of Shri R. L. Goyal, Chief Architect (Retd.) Govt. of Haryana, as Convenor and Shri D.D. Bakde, Chief Architect (NDR), C.P.W.D., Shri R. Radhakrishnan, Assistant Architect, Govt. of Pondicherry and Shri R. Ramesh Kumar, Senior Architect (Incharge) Andaman & Nicobar Administration, as Members, to suggest posts and pay-scales for Architectural Cadre for Architects employed in Central Govt., State Governments and Public Sectors Undertakings for submitting a memorandum to the 6th Central Pay Commission constituted by the Government of India for appropriate consideration. Sub-Committee met on 1st June, 2007, at the office of the Council at New Delhi and submitted its report. The Executive Committee at its 90th Meeting held on 6th June, 2007, after considering the report decided that the same be forwarded to the 6th Central Pay Commission for appropriate consideration. This report is framed as Guidelines on Role of Architects in Public Services and has been sent to all concerned organisations for implementation/ adoption.

14.0 ARCHITECTURAL COMPETITIONS:

The Council has assisted a number of promoters in the conduct of the architectural design competitions, namely, Airports Authority of India, Ministry of Health, Navodaya Vidyalaya Samiti, and various other organizations for their projects in compliance with the architectural competitions guidelines prescribed by it. The guidelines and inputs required by the promoters and competitors from the Council in the conduct of the competitions were made available as and when request were received.

15.0 COMPLAINTS FOR MISUSE OF TITLE AND STYLE OF ARCHITECT:

The Council at its 50th meeting held on 21.12.2008 authorised the Registrar, Council of Architecture to file criminal complaints against following persons who have misrepresented themselves as architects or misused the title and style of architects in violation of the provisions of the Architects Act, 1972 :

1. Rakesh Ganpat Waghmare, M.29 Yrs., Ed.-Diploma in Civil Engineering, R/o D/703, Mahadeo Apartment, Nr. N. G. Society, Thakur Village, Kandivali (East), Mumbai.
2. Mohammad Abdulla Siddiqui, M.35Yrs, Ed.-Diploma in Architecture, Office & Resi: C/104, Gaurav Sitare Building, Behind Bhatia High School, Saibaba Nagar, Borivali (West), Bombay.
3. Bhushan Vishnu Kumkar, M.31 Yrs, Ed.-Diploma in Civil Engineering, Office-Bldg. No. 45/ 2229, Gandhi Nagar, Samadhan Co. Op. Housing Society, Bandra (East), Mumbai.
4. Jatin Brijlal Shah, M.38 Yrs, Ed.-Diploma in Civil Engineering, Office Bldg. No.A/1, Rajashree Accord, Teli Galli Cross Lane, Andheri (East), Mumbai.
5. Shri Mukesh Kumar Soni, M/s. Soni Associates, 823, Ground Floor, Opp. P & T Gate No.2, Beside ICICI ATM, Wright Town, Jabalpur, (M.P.)

The process for filing complaints in the appropriate Court has been initiated by the Council against the above stated persons.

16. PUBLICATIONS:

Council of Architecture has been publishing a magazine titled "architecture - time space & people". This magazine is being sent free of cost, to the registered architects. It provides useful information about the activities of the Council and issues concerning architectural profession and latest technological advancements and innovations applied. The Council is printing and publishing this

magazine with assistance of M/s. Lifestyle Media, New Delhi. The Council has also published its Directory of Architects and Handbook of Professional Documents 2007.

17.0 NATIONAL BUILDING CODE:

The design competence prescribed for in National Building Code is discriminatory for architects and thus affecting the profession and general public which ought to be served by qualified professionals. The Council has challenged the same before the High Court of Delhi and the matter is now pending before Hon'ble Supreme Court of India.

18.0 GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES IN WTO:

The Council of Architecture is continuously interacting with its nodal Ministry of Human Resource Development, Government of India and the Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, which is the concerned Ministry to coordinate all the issues related with the GATS in WTO and CECA with Singapore and other countries for forging MRAs for recognition of qualification in each others country. President, Council of Architecture constituted a Committee comprising of Shri Bharat Sheth, as Covenor, and Shri Vinay M. Parelkar and Shri Ambrish K. Gupta as members to finalise the proposed drafts proposals of the Council of Architecture and Boards of Architects Singapore.

19.0 PROPOSALS PENDING WITH MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA:

The Council is required under the provisions of the Architects Act, 1972, to refer certain matters for approval of the Central Government. Accordingly, the proposals for Revision in Fees Structure for Registration & Renewal of Registration of Architects, Amendments to Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1983, De-recognition of qualifications of various schools of architecture who are not imparting education as per the minimum standards of the Council were sent to the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India. These have been pending for approval of the Central Government for a considerable time. The Council as per the decision taken in its 50th Meeting held on 21.12.2007, also brought the matter to the notice of the Hon'ble Minister for Ministry of Human Resource Development, however, suitable action on the same are still awaited.

20.0 ACKNOWLEDGEMENTS:

The Council of Architecture is functioning with skeleton staff strength and catering efficiently on all India bases. The Council would like to place on record its appreciation and thanks to all Schools of Architecture and State Governments for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council also expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, other professional bodies, practising architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Auditor, Counsel, Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2006 –2007.

VINOD KUMAR
Registrar

New Delhi
Dated : 27.05.2008

*****

SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANT

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Core 6-A, 4th Floor, Lodhi Road, New Delhi – 110003, as at 31st March, 2008, the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2008, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion subject to note nos. 10 & 11 of Annexure No. 14 – Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts

We further report that:

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;

2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;

3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:

   a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2008 and

   b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

   c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended on that date.

For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

SHAILESH KUMAR
Partner
M. No. 077337

Date : 24.05.2008
Place: New Delhi

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2008 (Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
EARMARKED FUNDS	1	88609255.00	77092840.00
UNSECURED LOANS	2	150000.00	150000.00
CURRENT LIABILITIES	3	1495559.00	3334187.10
TOTAL		**90254814.00**	**80577027.10**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4	6878372.00	7043861.30
INVESTMENTS	5	69855000.00	72903438.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	10913532.06	11236527.91
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	2607909.94	-10606800.11
TOTAL		**90254814.00**	**80577027.10**
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

Vinod Kumar
(REGISTRAR)

(PRESIDENT)

For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

SHAILESH KUMAR
Partner
M. No. 077337

Place : New Delhi
Date : 24.05.2008

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2008 (Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	8	10510315.00	15766420.00
Other Income	9	2932911.00	1218269.20
Receipts from Publication	10	528830.00	479197.00
Interest Earned	11	5603008.00	5145043.00
TOTAL (A)		**19575064.00**	**22608929.20**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	7075337.00	5548666.00
Administrative Expenses	13	25306769.75	15953902.35
Depreciation	4	447667.30	658771
TOTAL (B)		**32789774.05**	**22161339.35**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-13214710.05	447589.85
Transferred to Surplus and Deficit Account		-13214710.05	447589.85
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

(SHAILESH KUMAR)
M.N.077337

Place : New Delhi
Date : 24.05.2008

COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

(NON-PROFIT ORGANISATION)

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2008

(Amount)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			**I. Expenses**		
a) Cash In hand	1,10870.00	67,910.00	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 14)	70,35,337.00	55,48,666.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 15)	2,53,06,769.75	191,53,693.35
1) In Current accounts	97,446.67	1,05,877.67			
2) Savings Accounts	35,41384.95	29,94,714.75	**II. Payments made against funds for various Projects**		
3) Drafts at Hand	5,40,690.00	4,90,075.00	a) MHA Expenses	34,425.00	20,000.00
			b) NATA Expenses	0.00	34,31,272.00
II. Funds Received			c) Purchase of Books	0.00	3,68,709.00
a) QIP Participation Fees	0.00	3,59,662.00	d) Climon Expenses	0.00	5,350.80
b) Evaluation Fees	18,91,275.00	60,75,000.00	e) Directory of Architects Expenses	0.00	1,12,240.00
c) Advertisements for Directory of Architects	0.00	8,05,181.00	f) CPF Contribution	0.00	2,44,321.00
d) Arbitration Fee (Net)	3,900.00	1,500.00	g) Advances Adjusted/Written Off	15,38,879.00	7,18,851.00
e) Receipts from Climon	0.00	1,49,200.00			
			III. Investments and deposits made		
III. Interest Received			a) Out of Earmarked/Endowment funds	6,30,00,000.00	1,06,65,119.00
a) On Bank deposits	51,35,132.00	51,37,020.00	b) Out of Own Funds (Investments-Others)	0.00	31,37,644.00
b) Loans, Advances etc.	3,62,103.00	4,91,659.00			
c) On Savings Bank Account	50,526.00	40,466.00	**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress**		
d) From Income Tax Dept.	1,118.00	0.00	a) Purchase of Fixed Assets	2,85,578.00	22,34,169.00
IV. Fee Income					
a) Registration Fee	11,14,000.00	11,12,200.00	**V. Other Payments**		
b) Annual Renewal Fee	21,50,700.00	22,91,800.00	a) TDS deducted by the Bank/Companies	2,15,609.00	11,322.00
c) Restoration Fee	13,32,000.00	13,46,000.00	b) Advances to Staff	0.00	16,45,236.00
d) Duplicate Certificate Fee	76,500.00	70,000.00	c) Other Advances	21,84,895.58	18,27,704.00
e) Fine from Architects	34,00,830.00	25,40,660.00	d) Part Fees on Account	2,72,560.00	0.00
f) Apportionment of One Time Renewal Fees	24,36,285.00	84,05,760.00	e) Interest on TDR debited by the Bank	0.00	1,58,773.00
			f) Apportionment of One Time Renewal Fees	24,36,285.00	84,05,760.00
V. Other Income					
a) Income from Publications	2,99,350.00	3,34,652.00	**VII. Opening Balance**		
b) Royalty of Magazine & Subscription	2,24,350.00	1,49,675.00	a) Cash In hand	20,700.00	1,10,870.00
c) Equivalence Fees (Net)	7,000.00	6,000.00	b) Bank Balances		
d) Misc. Receipts	0.00	223.00	1) In Current accounts	1,77,280.67	97,446.67
e) RTI Fees	20.00	60.00	2) Savings Accounts	25,48,267.91	35,41,384.95
f) NATA Fees	10,30,716.00	26,22,400.00	3) Drafts at Hand	4,09,860.00	5,40,690.00
VI. Other Receipts					
a) One Time Renewal Fee	1,39,52,700.00	1,27,61,300.00			
b) FDR's Matured during the Year	6,60,48,438.00	1,14,68,423.00			
c) Sales of Equipments	3,400.00	95,000.00			
d) Part Fee on Account (Net)	0.00	4,84,692.00			
e) Advances Recovered from Staff	10,54,212.00	18,15,539.00			
f) Other Advances Recovered	6,01,500.29	27,56,572.35			
TOTAL	10,54,66,446.91	6,39,79,221.77	**TOTAL**	10,54,66,446.91	6,39,79,221.77

for and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
for SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

(SHAILESH KUMAR)
M.N.077337

Place :- New Delhi
Dated :-24.05.2008

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
New Delhi-110058, the 20th November 2008

No. 20-15/2008-SR(A) (Orissa)

In exercise of the power conferred by provision of clause(1) of Section 27 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar of the Central Council of Indian Medicine on the basis of information supplied by Orissa State Council of Ayurvedic Medicine, Bhuvaneshwar vide letter No.421 OSCAM dated 17.08.2006 and letter No.304/OSCAM dated 22.03.2007 hereby delete the Central Register No. 80112, 80145, 80352, 80415 and 93089 and entries related thereto from the Central Register of Indian Medicine pertaining to Orissa State notified in the Gazette of India Notification No.19 dated May 08, May 14, 2003 and Notification No.47 dated 9th December 15, 2006

P. R. SHARMA
Registrar

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058, दिनांक 01 जनवरी 2009

सं. 20-19/2008 -के.प. (तमिलनाडु) जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हैं जो तमिलनाडु राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं ।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में तमिलनाडु राज्य रजिस्टर में 01.04.2003 से 31.12.2006 तक क्रम संख्या 108555 आयुर्वेद एवं 12641 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 108938 आयुर्वेद एवं 12715 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है ।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 01.04.2003 से 31.12.2006 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (तमिलनाडु) का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए ।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार